(राजस्थान सरकार)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर, बुहाना जिला झुंझुनूं

पीठासीन अधिकारीः– हेमन्त कुमार, आर.ए.एस.

मुकदमा नम्बर– 89 / 2020 जी.सी.एम.एस नम्बर :– 2020 / 00148

1. बलबीर सिह पुत्र श्री चन्द्र भान जाति जाट निवासी देवलावास तहसील बुहाना जिला झुंझुनू (राज0)
2. राजपाल सिंह पुत्र चन्द्र भान जाति जाट निवासी देवलावास तहसील बुहाना जिला झुंझुनू (राज0)

........................प्रार्थी

– ब ना म –

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार बुहाना तहसील बुहाना जिला झुंझुनू (राज.)
2. विनोद कुमार पुत्र नन्दलाल जाति जाट निवासी देवलावास तहसील बुहाना जिला झुंझुनू (राज.)
3. सचिन कुमार पुत्र नन्दलाल जाति जाट निवासी देवलावास तहसील बुहाना जिला झुंझुनू (राज.)
4. संजय कुमार पुत्र नन्दलाल जाति जाट निवासी देवलावास तहसील बुहाना जिला झुंझुनू (राज.)

...........................अनावेदकगण

उपखण्ड अधिकारी बुहाना, जिला झुंझुनूं (राज.)

आवेदन पत्र बाबत रास्ता चाहने

अन्तर्गत धारा 251क राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थित अधिवक्ता :–

प्रार्थीगण की ओर से – श्री अशोक यादव अधिवक्ता
अप्रार्थीगा संख्या 2, 3, 4 की ओर से – श्री मुकेश चौधरी अधिवक्ता

–: निर्णय :–

दिनांक :– 28/6/24

आवेदकगण की ओर से आवेदन पत्र निम्न प्रकार रहा कि:–

1. यह कि वाके ग्राम देवलावास तहसील बुहाना में स्थित कृषि भूमि जमाबन्दी सम्वत 2075 से 2078 के खाता संख्या 122 के [illegible] 77 रकबा 1.10 है0, ख0 न0 284 रकबा 0.02 है0, ख0 न0 285 रकबा 0.92 है0, [illegible] 367 रकबा 1.19 है0, ख0 न0 533 रकबा 0.81 है0, ख0 न0 604 [illegible] कुल किता 6 कुल रकबा 3.78 है0, स्थित है प्रार्थीगण उक्त कृषि भूमि के खातेदार [illegible]स्तकार दर्ज रिकार्ड

Signature Not Verified
Digitally signed by Hemant Kumar
Date: 2024.07.29 11:41:11 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी बुहाना
जिला झुन्झुनूं (राज.)

राजस्व वाद संख्याः–89 / 2020
बलबीर बनाम राज.सरकार आदि
निर्णय दिनांकः– 28.06.2024

2. यह कि वाके ग्राम देवलावास में स्थित कृषि भूमि जमाबन्दी सम्वत 2075 से 2078 के खाता संख्या 208 के खसरा नम्बर 355 रकबा 0.95 हैक्टर खसरा नम्बर 368 रकबा 0.75 हैक्टर खसरा नम्बर 701 / 4021 रकबा 0.04 हैक्टर खसरा नम्बर 778 / 566 रकबा 1.00 हैक्टर खसरा नम्बर 780 / 487 रकबा 0.16 हैक्टर कुल किता 5 कुल रकबा 2.90 हैक्टर स्थित है अप्रार्थी संख्या 2, 3, 4 उक्त भूमि के खातेदार कास्तकार दर्ज रिकार्ड है।

3. यह कि देवलावास से आम रास्ता जाता है जो आगे जाकर आम सड़क जो बुहाना से नारनौल जाती है मे मिल जाता है प्रार्थीगण के खेत खसरा नम्बर 367 / 1 रकबा 1.19 हैक्टर के पश्चिम दिशा में सटकर अप्रार्थी संख्या 2, 3, 4 क खेत खसरा नम्बर 368 रकबा 0.75 हैक्टर की उतरी मेड के सहारे सहारे पूर्व से पश्चिम जो 12 फीट चौड़ा आम रास्ता स्थित है जो उतर से दक्षिण को जाने वाले रास्ते में मिल जाता है। यह रास्ता दक्षिण की तरफ गॉव में चला जाता है। उक्त आम रास्ता से प्रार्थीगण अपने खेत में कृषि जोतने सिचांई करने बुवाई आदि करने ट्रेक्टर, उंट गाड़ी आदि लाने ले जाने के लिए सबसे निकटतम व छोटा रास्ता है। उक्त रास्ता के अलावा प्रार्थीगण के पास कोई रास्ता नही है। जिसकी प्रार्थीगण सख्त आवश्यकता है।

4. यह कि प्रार्थीगण ने अप्रार्थीगण को गत 5 रोज पूर्व कहा कि मेरे खेत खसरा नम्बर 367 में आने जाने, जुताई, बुवाई, सिचांई आदि लाने ले जाने व् फसल को लाने ले जाने के लिए आपके / अप्रार्थीगण के खेत खसरा नम्बर 368 में से उतरी मेड के सहारे–सहारे आम रास्ता पूर्व से पश्चिम की और चलता हुआ 12 फीट चोड़ा रास्ता दिया जावे तो अप्रार्थीगण ने रास्ता देने से इंकार कर दिया तथा प्रार्थीगण अपने खेत में से कृषि जोत लाने – ले जाने व अपने खेत की जुताई, बुवाई, सिंचाई, हेतु उंट गाड़ी ट्रेक्टर आदि लाने ले जाने के लिए मना कर दिया। अतः यह प्रार्थना पत्र पेश करना आवश्यक हुआ।

अतः आवेदन पत्र पेश कर निवेदन हैं

यह कि ग्राम देवलावास तहसील बुहान में स्थित प्रार्थीगण की कृषि भूमि खसरा नम्बर 367 में आने जाने बुवाई, जुताई, सिंचाई कृषि जोत आदि के लिए अप्रार्थीगण के खेत खसरा नम्बर 368 में से उतरी मेड के सहारे– सहारे 12 फीट चोड़ा रास्ता जो पूर्व से पश्चिम चलकर अप्रार्थीगण के खेत में से होता हुआ। मुख्य आम रास्ता जो उतर से दक्षिण गॉव देवलावास में मिल जाता है को कायम किया जाकर राजस्व रिकार्ड में रास्ता का अमल दरामद किया जावे।

Signature Not Verified
Digitally signed by Hemant Kumar
Date: 2024.07.29 11:41:11 IST
Reason: SelfAttested

(2) आवेदन पत्र दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण को नोटिस जारी की गई । अप्रार्थीगण संख्या 2, 3 व 4 की ओर से श्री मुकेश वकील एड द्वारा जवाब जवाब पेश किया गया है।

उपखण्ड अधिकारी बुहाना
जिला झुन्झुनूं (राज.)

राजस्व वाद संख्याः–89/2020
बलबीर बनाम राज.सरकार आदि
निर्णय दिनांकः– 28.06.2024

(3) न्यायालय द्वारा तहसीलदार बुहाना से मौका रिपोर्ट हेतु पत्रांक 543 दिनांक 12.09.2023 के द्वारा पत्र भिजवाया गया। तहसीलदार बुहाना के पत्रांक 3168 दिनांक 20.10.2023 के द्वारा मौका रिपोर्ट प्राप्त हुई। तहसीलदार बुहाना की मौका रिपोर्ट रही की –

(1) ग्राम देवलावास से घसेड़ा को जाने वाले कटानी प्रचलित खातेदारी में दर्ज ख0 न0 359 आम रास्ता है जिससे पूर्व दिशा में ख0 न0 368, 364 सटकर स्थित है ख0 न0 368 के पूर्व में ख0 न0 367 रकबा 1.19 है0, प्रार्थी बलबीर राजपाल पुत्र चन्द्रभान जाट की खातेदारी का खेत है जिससे मय विधुत कनेक्शन कुआ/बोरवेल है उक्त खेत में आने जाने हेतु प्रचलित रास्ता ख0 न0 359 से कोई रास्ता नही है। ख0 न0 365 में भी प्रार्थीगण का हिस्सा दर्ज रिकार्ड है जिसकी जमाबन्दी संलग्न है

(2) प्रस्तावित रास्ते के प्रथम बिन्दू से आवेदक की भूमि तक रास्ते को सीमांकित / दर्शित मार्ग निकटतम व लघुतम है। प्रार्थी ने ख0 न0 367 में आने जाने हेतु ख0 न0 368 में से रास्ता चाहा है जिसमें मौका रिपोर्ट करने पर राजस्व नक्शा से अवलोकन पर सबसे कम दूरी का प्रस्तावित आम रास्ता ख0 न0 368 की उतरी मेड़ के सहारे 2 मी0 चौड़ाई तथा ख0 न0 364 की दक्षिणी मेड़ के सहारे 2 मी0 चौड़ाई का होकर कटानी रास्ता से 51 मी0 दूरी का लम्बा होने से ख0 न0 364 व 368 में रकबा निम्नानुसार होगा।

(3) नजरी के नक्शा के साथ प्रस्तावित रास्ते का नापः– (1) खसरा नम्बर 364 (जो निकटतम एवं लघुतम है का मूल्य) जो सिचिंत है। रास्ते का क्षेत्रफल (53 मीटर x 2 मीटर) 106 वर्ग मीटर, (2) खसरा नम्बर 368 में रास्ते का क्षेत्रफल (51 मीटर x 2 मीटर) 102 वर्ग मीटर, प्रस्तावित रास्ते में कुल क्षेत्रफल 208 वर्ग मीटर है। (3) इस रास्ते में कोई पेड़ या पक्का निर्माण नही है।

बहस सुनी गई। पत्रावली पर उपलब्ध प्रलेखीय दस्तावेजात का ध्यानपूर्वक अवलोकन एवं बहस पर मनन किया गया। दोनो पक्षों ने प्रार्थना पत्र पेश किया कि उभयपक्षकारान में राजीनामा हो गया है तथा प्रार्थी को खसरा नम्बर 367 में जाने हेतु अप्रार्थी के खसरा नम्बर 368 की उत्तरी मेड़ के सहारे पूर्व से पश्चिम तक 51 मीटर X 4 मीटर का रास्ता भूमि के बदले भूमि देकर सहमत है।

उपखण्ड अधिकारी बुहाना, जिला झुंझुनूं (राज.)

न्यायालय का निष्कर्ष निम्न प्रकार है। अतः न्यायालय प्रार्थना पत्र में चाहे गये रास्ते को मात्र जोत के सुविधाजनक उपभोग (Not mere convenient enjoyment of holding) के लिये नहीं है बल्कि आत्यांतिक आवश्यकता (Absolute Necessity) का मामला पाता है। यह भी कि आवेदक [illegible] खेत/मकान में आने जाने एवं फसल उपज को लाने ले[illegible] रास्ता की अनुपलब्धता (Absence of alternative means of access) को भी साबित किया है। न्यायालय तहसीलदार की मौका रिपोर्ट, राजीनामें के आधार पर आवेदकगण के प्रार्थना पत्र को स्वीकार योग्य पाता है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Hemant Kumar
Date: 2024.07.29 11:41:11 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी बुहाना
जिला झुन्झुनूं (राज.)

राजस्व वाद संख्याः–89 / 2020
बलबीर बनाम राज.सरकार आदि
निर्णय दिनांकः– 28.06.2024

तहसीलदार बुहाना की मौका रिपोर्ट के अनुसार, राजीनामे के आधार पर प्रार्थी ख0 न0 367 में आने जाने हेतु अप्रार्थीगण के ख0 न0 368 से 12 फुट चौड़ा रास्ता दिया जाता है। प्रार्थी जिसके बदले में उतनी ही भूमि संलग्न 367 से अप्रार्थीगण को दी जावे। रास्ता गैर मुमकिन रास्ता होगा जो कि सार्वजनिक रास्ते के रूप में दर्ज होगा ।

आदेश

''न्यायालय प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना न्यायोचित पाता है। अतः वाके ग्राम देवलावास में स्थित भूमि तहसीलदार की मौका रिपोर्ट, राजीनामें के आधार पर प्रार्थी को स्वयं के खसरा नं0 367 में जाने हेतु अनावेदक की भूमि ख0 न0 368 के उतरी मेड़ के सहारे 12 फीट चौड़ा रास्ता दिया जाता है। जिसको नजरी नक्शे में लाल सुर्ख से दर्शाया गया है। जिसको रास्ता के लिए दिये जाने के आदेश दिये जाते है। नक्शा ट्रेस प्रदर्श –''अ'' के अनुसार दिए जाने के आदेश दिये जाते हैं। रास्ते की भूमि की किस्म राजस्व रिकॉर्ड में ''गैर मुमकिन रास्ता'' के रूप मे दर्ज किये जाने के आदेश दिया जाता है। तहसीलदार बुहाना को आदेशित किया जाता है कि प्रतिकार जिसके बदले मे उतनी ही भूमि सलंग्न ख0 न0 367 से अप्रार्थीगण को दी जावे। राजस्व रिकॉर्ड में अमल व तरमीम करे। रास्ता के सीमा चिन्ह कायम किए जावे। तहसीलदार बुहाना का नक्शा ट्रेस प्रदर्श –''अ'' निर्णय का अभिन्न अंग रहेगा। रहन यदि कोई हो तो रास्ता में जाने वाला रकबा रहन से मुक्त माना जावे''।

(हेमन्त कुमार)
उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलेक्टर, बुहाना

उपखण्ड अधिकारी बुहाना
जिला झुन्झुनू (राज.)

उपखण्ड अधिकारी
बुहाना, जिला झुंझुनूं (राज.)

निर्णय आज दिनांक 28/6/24 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर, बाद मेरे हस्ताक्षर इस न्यायलय के मुद्राकित सरे इजलास सुनाया गया।

(हेमन्त कुमार)
उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलेक्टर, बुहाना

Signature Not Verified

Digitally signed by Hemant Kumar
Date: 2024.07.29 11:41:11 IST
Reason: SelfAttested